छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा नवम् सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012

(फाल्गुन-24, शक संवत 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किए जाने हेतु श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य का नाम पुकारा गया। प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा प्रश्नोत्तरी में अंकित प्रश्न न पूछते हुए राहुल शर्मा की आत्महत्या/हत्या की सी.बी.आई. से जांच की घोषणा करने संबंधी प्रश्न किया गया।

नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे द्वारा भी प्रकरण की सी.बी.आई. जांच की मांग की गई ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने उक्त प्रकरण पर वक्तव्य दिया।

2. वक्तव्य

स्व.राहुल शर्मा, आई.पी.एस. की आत्महत्या के प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराए जाने के संबंध में

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्व.राहुल शर्मा, आई.पी.एस. की आत्महत्या के प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराए जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 07 से 19 (कुल 17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 04 एवं 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री नंदकुमार पटेल एवं महंत श्री रामसुंदर दास अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 14 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव के स्थान पर डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 स्थित इन्द्रावती पुल पर टोलटेक्स वसूली से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में सारडा एनर्जी पावर प्लांट हेतु वन भूमि आबंटित किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वृद्धा व्यवस्था पेंशन भुगतान में अनियमितता किये जाने, एवं

(2) श्री रुद्रकुमार गुरु, सदस्य ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिखली कुसमुंद में वृद्धावस्था एवं सुखद सहारा पेंशन राशि का वितरण न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

7.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, बोधराम कंवर, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) श्रीमती रेणु जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री परेश बागबाहरा, रामदेव राम, देवेन्द्र बहादुर सिंह, चैतराम साहू, हृदयराम राठिया, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, भोलाराम साहू।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह, (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लखमा कवासी, डोमनलाल कोर्सेवाडा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में सायं 6.00 बजे तक की वृद्धि की घोषणा की।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री खेदूराम साहू (जारी)

सायं 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 15 मार्च, 2012 (फाल्गुन, 25 शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा